

IV 155 201



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(प्रभात चन्द्र उपाध्याय)

मुकुन्द रोड विवाहार-बोनपुर

BU 369000

प्रभात संस्थान

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक- 20.03.2013 को रचित प्रताप पाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र पाल निवासी मोहल्ला रासमण्डल, पोस्ट सदर, तहसील सदर जिला जौनपुर द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे-प्राविधिक, उच्च चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- (पाँच हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मोहल्ला रासमण्डल, पोस्ट-सदर, तहसील-सदर, जिला-जौनपुर 20300 में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है।

प्रभात संस्थान (इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:-

ट्रस्ट के उद्देश्य-

ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा-

Handwritten signature
[Red circular stamp]

21/12/2019

25/11/2022

अप/सहायक संयोजक

वे स्टावर

लेखागार-खोला



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

(भारत गैर न्यायिक)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१४५ रोकड़िया
बोधागार-बोनपुर

BU 373621

- 1- बिना लिंग भेद किए हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उपचार केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास सम्बद्ध आवद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर परिषद् विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना।
- 2- अल्प संख्यक हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी०एड, एम०एड, बी०टी०सी० बी०पी०एड०, संस्थानों का संचालन कराना।
- 3- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन कराना।
- 4- कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नदी का संरक्षण करना।
- 5- उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
- 6- महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
- 7- प्रतियोगात्मक परिक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
- 8- कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
- 9- किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना।
- 10- पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि का उपजाऊ योग्य बनाना।
- 11- ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना।
- 12- उपहार के बस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना।
- 13- कबाड़ा की सामानों को इकट्ठा करके फर्निश भट्टियाँ का निर्माण करके उनको गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य हैं।
- 14- केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेल-कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यों का संचालन करना।

Rohit

उप/स. उ. रीति-
के अलावा
लोनागार-बोनाग



800

2402-4000

9/24/2014 10:04 AM

2014-15-2015-16

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

14211-14212-14213-14214-14215-14216-14217-14218-14219-14220-14221-14222-14223-14224-14225-14226-14227-14228-14229-14230-14231-14232-14233-14234-14235-14236-14237-14238-14239-14240-14241-14242-14243-14244-14245-14246-14247-14248-14249-14250-14251-14252-14253-14254-14255-14256-14257-14258-14259-14260-14261-14262-14263-14264-14265-14266-14267-14268-14269-14270-14271-14272-14273-14274-14275-14276-14277-14278-14279-14280-14281-14282-14283-14284-14285-14286-14287-14288-14289-14290-14291-14292-14293-14294-14295-14296-14297-14298-14299-14300-14301-14302-14303-14304-14305-14306-14307-14308-14309-14310-14311-14312-14313-14314-14315-14316-14317-14318-14319-14320-14321-14322-14323-14324-14325-14326-14327-14328-14329-14330-14331-14332-14333-14334-14335-14336-14337-14338-14339-14340-14341-14342-14343-14344-14345-14346-14347-14348-14349-14350-14351-14352-14353-14354-14355-14356-14357-14358-14359-14360-14361-14362-14363-14364-14365-14366-14367-14368-14369-14370-14371-14372-14373-14374-14375-14376-14377-14378-14379-14380-14381-14382-14383-14384-14385-14386-14387-14388-14389-14390-14391-14392-14393-14394-14395-14396-14397-14398-14399-14400-14401-14402-14403-14404-14405-14406-14407-14408-14409-14410-14411-14412-14413-14414-14415-14416-14417-14418-14419-14420-14421-14422-14423-14424-14425-14426-14427-14428-14429-14430-14431-14432-14433-14434-14435-14436-14437-14438-14439-14440-14441-14442-14443-14444-14445-14446-14447-14448-14449-14450-14451-14452-14453-14454-14455-14456-14457-14458-14459-14460-14461-14462-14463-14464-14465-14466-14467-14468-14469-14470-14471-14472-14473-14474-14475-14476-14477-14478-14479-14480-14481-14482-14483-14484-14485-14486-14487-14488-14489-14490-14491-14492-14493-14494-14495-14496-14497-14498-14499-14500-14501-14502-14503-14504-14505-14506-14507-14508-14509-14510-14511-14512-14513-14514-14515-14516-14517-14518-14519-14520-14521-14522-14523-14524-14525-14526-14527-14528-14529-14530-14531-14532-14533-14534-14535-14536-14537-14538-14539-14540-14541-14542-14543-14544-14545-14546-14547-14548-14549-14550-14551-14552-14553-14554-14555-14556-14557-14558-14559-14560-14561-14562-14563-14564-14565-14566-14567-14568-14569-14570-14571-14572-14573-14574-14575-14576-14577-14578-14579-14580-14581-14582-14583-14584-14585-14586-14587-14588-14589-14590-14591-14592-14593-14594-14595-14596-14597-14598-14599-14600-14601-14602-14603-14604-14605-14606-14607-14608-14609-14610-14611-14612-14613-14614-14615-14616-14617-14618-14619-14620-14621-14622-14623-14624-14625-14626-14627-14628-14629-14630-14631-14632-14633-14634-14635-14636-14637-14638-14639-14640-14641-14642-14643-14644-14645-14646-14647-14648-14649-14650-14651-14652-14653-14654-14655-14656-14657-14658-14659-14660-14661-14662-14663-14664-14665-14666-14667-14668-14669-14670-14671-14672-14673-14674-14675-14676-14677-14678-14679-14680-14681-14682-14683-14684-14685-14686-14687-14688-14689-14690-14691-14692-14693-14694-14695-14696-14697-14698-14699-14700-14701-14702-14703-14704-14705-14706-14707-14708-14709-14710-14711-14712-14713-14714-14715-14716-14717-14718-14719-14720-14721-14722-14723-14724-14725-14726-14727-14728-14729-14730-14731-14732-14733-14734-14735-14736-14737-14738-14739-14740-14741-14742-14743-14744-14745-14746-14747-14748-14749-14750-14751-14752-14753-14754-14755-14756-14757-14758-14759-14760-14761-14762-14763-14764-14765-14766-14767-14768-14769-14770-14771-14772-14773-14774-14775-14776-14777-14778-14779-14780-14781-14782-14783-14784-14785-14786-14787-14788-14789-14790-14791-14792-14793-14794-14795-14796-14797-14798-14799-14800-14801-14802-14803-14804-14805-14806-14807-14808-14809-14810-14811-14812-14813-14814-14815-14816-14817-14818-14819-14820-14821-14822-14823-14824-14825-14826-14827-14828-14829-14830-14831-14832-14833-14834-14835-14836-14837-14838-14839-14840-14841-14842-14843-14844-14845-14846-14847-14848-14849-14850-14851-14852-14853-14854-14855-14856-14857-14858-14859-14860-14861-14862-14863-14864-14865-14866-14867-14868-14869-14870-14871-14872-14873-14874-14875-14876-14877-14878-14879-14880-14881-14882-14883-14884-14885-14886-14887-14888-14889-14890-14891-14892-14

12416

2015

Page 10

1494

Received 15 July 2004; accepted 15 July 2004

Rohit

$$(-1)^{|\lambda|} \sum_{\mu \vdash n} \mu! \langle \lambda, \mu \rangle \langle \mu, \lambda \rangle \langle \mu, \mu \rangle = 4 \cdot 2 \langle \lambda, \lambda \rangle \langle \lambda, \lambda \rangle = 16 \langle \lambda, \lambda \rangle^2$$

Amend

श्री सीतिका प्रताप धर

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ

பெயர் பதிவு

ନିଉଆଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ି ଶୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉ

off-type

Rohit

1-10024 07/69 [44]

Figure 4. (a) $\log_{10}$ of the mean $\pm$ SD of the number of *Salmonella* spp. per 100 g of ground beef. (b) $\log_{10}$ of the mean $\pm$ SD of the number of *Salmonella* spp. per 100 g of ground beef.

한아미리 4월호

© 2000 Blackwell Science Ltd

3000 (420-440) and 3100 (440-460)

4444

उत्तरांचा भाग
दुसऱ्या भाग

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

સા.ક્ર. મહાકલા ધરડો સ્પર્ધા સ્તર સદર ડિ.ડી. બી.બી.બી.

1

Received 10 June 2004; accepted 10 June 2004

गजिन्द्राकृष्ण अधिकारी के द्वादाश

(राम अकबाल सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जीनपूर

22/11/2013

इन्डु प्रकाश लि.
नि.

गंजमंडीकरण अधिकांश के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

2017

इन्डु प्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य रोस्टिंग
कोषागार-बोनपुर

BU 373622

- 15- आई.टी.आई., आई.आई.टी., पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, प्रबन्धन फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर टेक्नीशियन, लैब, टेक्नीशियन, फिजियो थरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 16- समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी फर्म आदि की व्यवस्था करना।
- 17- पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
- 18- अन्धे, गुंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुनर्वास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
- 19- विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, कीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करना।
- 20- विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्ध परीक्षाओं में छात्रा/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
- 21- साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पद्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
- 22- सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकों, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
- 23- भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों, फलों का भण्डारण कराना तथा उनका कय विक्रय कराना।
- 24- शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल सब्जों, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान कराना।
- 25- किसानों को खतरा, खतौनी इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- 26- बैंकिंग का कार्य कराना, लोगों का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रीटर्न देना, उनके पैसों को सुरक्षा प्रदान करना, समय-समय पर गृह ऋण, मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- 27- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कराना।

Robst

12650 20813 1001
 ले/बीमती/पु... पु/पलो/पु...
 न्यासी बरामा महाराष्ट्र जिला

उप/स... री...
 के... रा...
 न्यासी-को...



न्यासी

File Number No.

131

Year

2013

Book No.

4

0101 रोहित प्रताप पाल

सुपारि न्यासी

सामान्यतः न्यासी न्यासी न्यासी न्यासी न्यासी

न्यासी न्यासी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य रीति
कोषागार-कोषागार

BU 373623

- 28- व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, आई.टी.आई. कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा सुचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
- 29- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
- 30- विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
- 31- आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
- 32- पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
- 33- एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।
- 34- ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
- 35- पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
- 36- उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
- 37- डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, सेंट्रिंग कारपेन्टर, मेसन, बड़ई, नाई, मोची, कुकर, झाड़वर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य करना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके।
- 38- कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके।
- 39- किसानों का उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये-नये औजारों को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना।
- 40- समय-समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना।
- 41- किसानों को रासायनिक खादों (डाई, यूरिया, पोटास, जिंक फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय-समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।

Rohit

1265/ 20.8.13 100
 न्याय विभाग
 नौवीं वती/सु. 2648
 न्यायी

ज्वालाचंद पी.बी.
 के. लताकर
 को. कार-डी.डी.



महाराष्ट्र सरकार
 को. कार-डी.डी.
 को. कार-डी.डी.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-बोनफ़ाय

BU 373624

- 42- धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार कर सकना।
- 43- जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
- 44- विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायक, समृद्धि विन्ध आदि प्रदान कर सकना।
- 45- ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासंभव अपनी उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि प्रचार-प्रसार करेगा।
- 46- ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
- 47- ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
- 48- सस्ते दरों पर लोगों को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना।
- 49- लोगों को दोपहिया, चारपहिया एवं हवी वाहन अपनी एजेंसी के माध्यम से सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगों को वाहन उपलब्ध हो सके।
- 50- विभिन्न संस्थानों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।

2. प्रारम्भिक उपलब्ध:-

- 1- वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से रोहित प्रताप पाल पुत्र सुभाष चन्द्र पाल को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
- 2- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष रोहित प्रताप पाल पुत्र सुभाष चन्द्र पाल द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो वरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
- 3- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तराधिकार अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण:-
- 1- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

Robit

12652 20-8-13 100
विवाद
कीमीपरी/.....
विवादी 12648

उपस्थित रीति
के अनुसार
अपवाद-वीर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य रोकटिया
कोटागार-बीनपुर

BU 373625

- 2- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
- 3- किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किए गये हो।
- 4- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
- 5- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जाएगा।
4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज:-
- 1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होगी।
- 2- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
- 3- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी स्वयं करेगा।
- 4- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 5- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किए गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Rohit

12653 20-8-13 109
रिपोर्ट
सी/सीवरी/पु०
विपारी
हस्ताक्षर
12648

उप/सहायक सीजी
के हस्ताक्षर
कोषाधार-कोष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387121

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाएँ:-

1- यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2- यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

6. कार्य क्षेत्र:-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है तथा ट्रस्टी चल अचल सम्पत्ति का कय व विक्रय कर सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति:-

1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2- यह कि सचिव के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

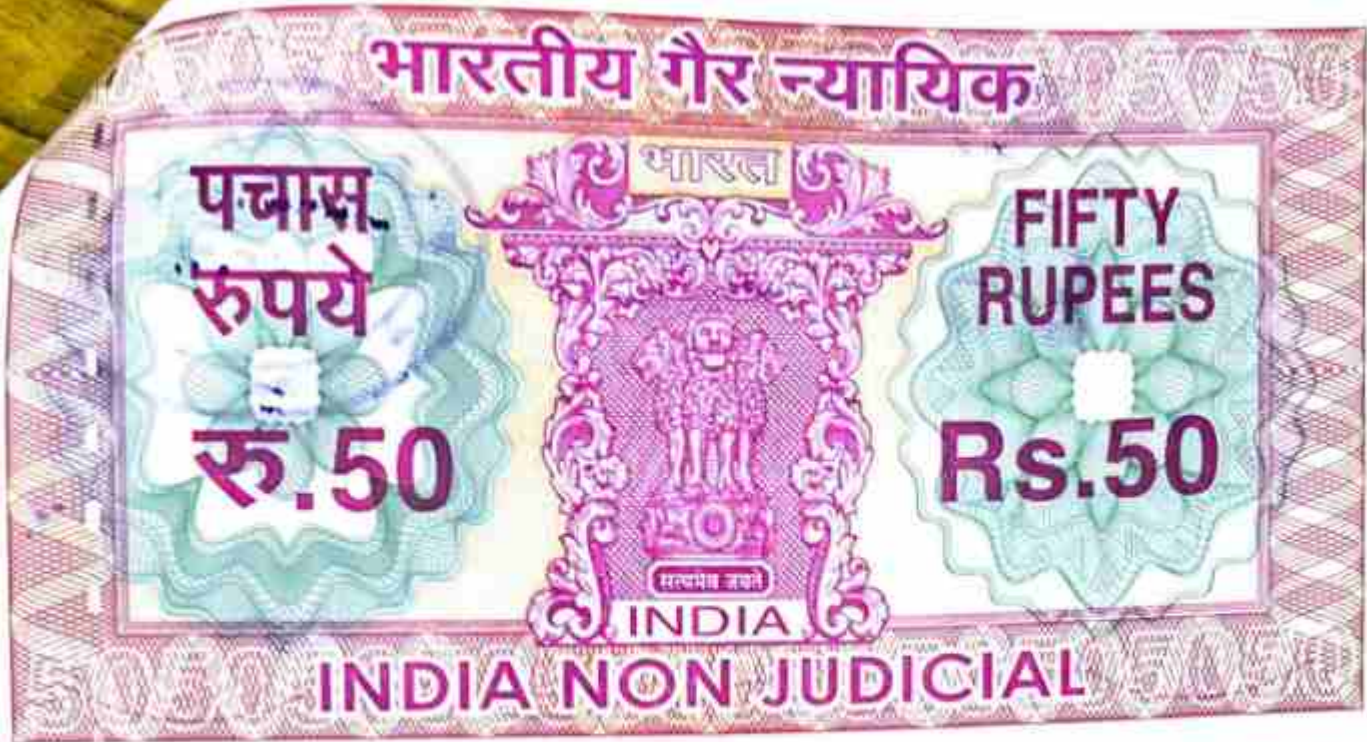
3- यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

Rohit

12654 20-8-13 54
विभागीय...
विभागीय... 12648

व्य/सहायक सी.डी.ओ.
के. हवाका
कोटाबार-मुंबई





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387122

9. सचिव की नियुक्ति:-

1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2- यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3- यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

1- बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2- इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

3- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यों की देख-रेख उपाध्यक्ष करेगा। आफिस विस्तार के लिए अध्यक्ष और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।

11. बैंक एकाउन्ट:-

1- ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।

2- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोल या संचालित किया जा सकता है।

Rohit

उप/सहायक सी.जी.ओ.
के हस्ताक्षर
ओपाचार-सीमा



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AN 387123

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

12. विधिक कार्यवाही:-

यदि संस्था ट्रस्ट के तर्फ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

13. सम्पत्ति सम्बन्धी:-

1- ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति के संबंध में वह सभी अधिकारी रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।

2- ट्रस्ट की ओर से चल अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई निर्णय लेने/लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3- ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अग्रह भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है अथवा देख सकता है।

4- ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

5- चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव में से दो लोगों का हस्ताक्षर एवं फोटों रहना जरूरी है।

6-वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5000/- (पाँच हजार रुपये) की पूंजी है।

14. विशेष:-

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनों मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जोकि सर्वमान्य होगा। ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में

Rohit

12656 20.8.13 54
कोपीवती/पु.
विपरीत ...

सूट-1 12648

उप/सहायक सीका
के द्वारा
कीसवार-सीका



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387124

जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये हैं। उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

साक्षीगण:-

1. नाम- सत्य प्रकाश पाल स्टडीकेट
पिता का नाम- श्री राजनाथ पाल
पता- बाम अर्धपुर पो. सैदरी पर. रौरी जौनपुर।
राजनाथ
2. नाम- राजश्रीत पाल
पिता का नाम- श्री राम कुमार पाल
पता- मुलाकला पर. खपरदा जौनपुर

Rohit
(रोहित प्रताप पाल)
ट्रस्टी/अध्यक्ष
प्रभासु संस्थान

तकमील तहरिर

दिनांक:-20.08.2013

अप/सहायक सीईओ
के प्रसाधन
कोयंबा-बोम्बे



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387125

मसविदाकर्ता- सत्य प्रकाश पाल एडवोकेट
सिविल कोर्ट जौनपुर।

साजिद अली

टाइपकर्ता- साजिद अली, गीत स्टूडियो कलेक्ट्रेट जौनपुर।

lobit

12658 208-13 501
 न/वीरगंज/... 2668
 न/वीरगंज/...

प/सा...
 8...
 को...-...



22-07-2013

408

...

[Signature]
 ...
 ...
 ...

